

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

(574, साउथ सिविल लाईन्स, पचपेढी जबलपुर, 482001)

Off. Ph. 0761-2678352, E-mail:-mplsajab@nic.in, Fax:-0761-2678537

क्र.फा.नं.20/नेश.लोक.अदा/राविसेप्रा/1932/2021 जबलपुर, दिनांक 24/07/2021
प्रति,

नेशनल लोक अदालत

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार/सचिव,
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति,
खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर (म.प्र.)
2. रजिस्ट्रार/सचिव,
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति,
जबलपुर (म.प्र.)
3. जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
समस्त जिला मध्यप्रदेश

विषय:- दिनांक 11 सितंबर 2021 को आयोजित नेशनल लोक अदालत के संबंध में।

उपरोक्त, विषयान्तर्गत नालसा के निर्देशानुसार, दिनांक 11 सितंबर 2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन कोविड-19 की गाईडलाईन का पालन करते हुये एवं स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये किया जाना है जिसमें चिन्हित किये गये मुकदमापूर्व (Pre-litigation) एवं न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य निम्न प्रकृति के प्रकरणों को निराकरण हेतु रखा जावेगा।

Pre-litigation:-

- (i) NI Act cases under Section 138,
- (ii) Money Recovery cases,
- (iii) Labour and Employment disputes cases,
- (iv) Electricity, Water Bills & other bill payment (excluding non-compoundable),
- (v) Maintenance Cases
- (vi) Others (Criminal Compoundable, and other Civil disputes - please specify),


Pending in the Courts :-

- (vii) Criminal Compoundable Offence,
- (viii) NI Act cases under Section 138,
- (ix) Money Recovery cases,
- (x) MACT cases,
- (xi) Labour and Employment disputes cases,
- (xii) Electricity, Water Bills & & other bill payment (excluding non-compoundable)

निरंतर 02


- (xiii) Matrimonial disputes (Except Divorce),
- (xiv) Land Acquisition cases, (Pending before civil courts/tribunals)
- (xv) Service matters relating to pay and allowances and retiral benefits,
- (xvi) Revenue cases (pending in District Courts and High Courts only)
- (xvii) Other civil cases (rent, easmentary rights, injunction suits, specific performance suits) etc. (please specify the category).

- दिनांक 11 सितंबर 2021 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों के अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किये जाने एवं लोक अदालत का प्रचार-प्रसार, आवश्यक व्यवस्था तैयारी हेतु सर्वसंबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।
- लोक अदालत की सूचना का समस्त प्रादेशिक एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन, इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार तथा लोकल चैनल पर स्लाईड/पट्टी आदि लगायी जावे।
- जिलों में सुदूरग्रामीण अंचलों तक पोस्टर, पम्पलेट, ब्रूसर्स इत्यादि का वितरण कराया जावे, जिससे लोक अदालत का लाभ आमजनता/पक्षकारगण को प्राप्त हो सके।


(धरमिन्दर सिंह)
सदस्य सचिव

पृ.फा.नं.20/नेश.लोक.अदा/राविसेप्रा/1932/2021 जबलपुर, दिनांक 29/07/2021
प्रतिलिपि:-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर।
2. संचालक, म0प्र0 राज्य न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर।
3. प्रधान न्यायाधीश, समस्त कुटुम्ब न्यायालय, समस्त जिला मध्यप्रदेश।
4. पीठासीन अधिकारी, समस्त श्रम न्यायालय, मध्यप्रदेश।
5. समस्त स्पेशल रेल्वे मजिस्ट्रेट, जबलपुर/भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/खण्डवा एवं रतलाम।
6. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त म.प्र.।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(धरमिन्दर सिंह)
सदस्य सचिव